रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122021-232290
CG-DL-E-31122021-232290

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 689] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943
No. 689] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSA 9, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

सं. पीएनजीआरबी/एडमिन/12-एचआर(05)/2021.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (सलाहकारों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2007 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सलाहकारों की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2021 कहा जाए ।

(2) ये विनियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (सलाहकारों की नियुक्ति) विनियम, 2007 में,-

(क) विनियम 17 में, उप-विनियम (6)में,

i. खंड (ग) के उप-खंड (ii) में, वर्ष, '2018' को वर्ष '2021' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) विनियम 17 में, उप-विनियम (7) में,

i. खंड (ङ) के लिए, "तीन महीने" से शुरू होने वाले शब्दों को "एक महीने" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा।

ii. खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित शामिल किया जाएगा, अर्थात्: -

"(च) पद के लिए सार्वजनिक सूचना की वेबहोस्टिंग की तिथि को विभिन्न श्रेणियों के लिए व्यक्तिगत सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाने वाले आवेदक की आयु 62 वर्ष से कम होगी:

बशर्ते कि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी भी सलाहकार को बोर्ड में नहीं रखा जाएगा।"

(ग) अनुसूची III, स्तर I और II की पंक्तियों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

'स्तर -I	65,000/- प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ।
स्तर -II	85,000/- प्रत्येक वर्ष पूरा होने पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ।'

वन्दना शर्मा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./552/2021-22]

पाद टिप्पणी: मूल विनियमों को सं. जी.एस.आर. 36 (ई) द्वारा दिनांक 30 नवंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था और बाद में अधिसूचना [एफ. सं. एस-प्रशासन/II/XI/2012] दिनांक 10.04.2012 और अधिसूचना एफ. सं. एस-प्रशासन/II/XI/2012 दिनांक 23.03.2018 द्वारा संशोधित किया गया।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2021

F. No. PNGRB/Admin/12-HR(05)/2021.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (Act 19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Amendment Regulations, 2007, namely:-

1. Short title and commencement: -

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Amendment Regulations, 2021.

(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Appointment of Consultants) Regulations, 2007:

(a) In Regulation 17, in sub- regulation (6),

i. in sub-clause (ii) of clause (c), the year, '**2018**' shall be substituted by the year '**2021**'.

(b) In Regulation 17, in sub-regulation (7),

i. for clause (e), the words beginning with, "three months", shall be substituted with the words, "one month".

ii. after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

"(f) The age of the applicant to be appointed as an Individual consultant for different categories as on the date of webhosting of Public Notice for the position shall be below 62 years:

Provided that no Consultant would be retained in the Board after attaining the age of 65 years."

(c) For Schedule III, the rows of Levels I and II shall be substituted by the following, namely:

'Level - I	Rs. 65,000/- with 10 percent increase on completion of each year.
Level – II	Rs. 85,000/- with 10 percent increase on completion of each year.'

VANDANA SHARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./552/2021-22]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 36(E) dated 30th November 2007 and subsequently amended *vide* notification [F. No. S-Admn/II/XI/2012] dated 10.04.2012 and notification F. No. S-Admn/II/XI/2012 dated 23.03.2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2021.12.31 19:49:47 +05'30'